

परिशिष्ट
(देखिये नियम 6)

फॉर्म - 'क'

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फॉर्म

भाग - 1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1	परियोजना का विवरण	सहारनपुर शहरी गैस वितरण परियोजना (Saharanpur CGD Project)
(क)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का विवरण	जनपद सहारनपुर के 6.3430 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० के द्वारा 8"/6" व्यास की स्टील/पी०ई० गैस पाईप लाईन OFC सहित डाले जाने का प्रस्ताव
(ख)	1:50000 स्केल मानचित्र पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र	मानचित्र संलग्न है।
(ग)	परियोजना लागत	150 करोड़
(घ)	वनक्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	इस परियोजना में गैस पाईप लाईन सड़को के किनारे डाली जानी है, जो की संरक्षित वन जाहेर की हुई है। इसमें कोई भी परंपरागत वन (Traditional Forest) प्रभावित नहीं हो रही है।
(ङ)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिये)	एनेक्सर संलग्न है।
(च)	रोजगार जिनकी पैदा होने की संभावना	कार्य के दौरान अस्थाई संख्या में कुशल एवं अकुशल व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्य व विवरण :	



क्र.	सड़कों का विवरण	प्रस्तावित पाईपलाईन कि साइड	पाईपलाईन की लंबाई मी. मे	चौड़ाई मी. मे	क्षेत्रफल वर्ग मी. मे	क्षेत्रफल हक्टेयर मे
PF1	सहारनपुर- यमुनानगर रोड	बाई ओर	1012	1	1012	0.1012
		क्रॉसिंग	10 X 2	1	20	0.002
		दाहिनी ओर	5594	1	5594	0.5594
PF2	सहारनपुर -नकुर- गंगोह रोड	बाई ओर	1650	1	1650	0.165
PF3	सहारनपुर- बागपत-दिल्ली रोड	क्रॉसिंग	10 X 2	1	20	0.002
		दाहिनी ओर	2148	1	2148	0.2148
		क्रॉसिंग	10 X 2	1	20	0.002
		बाई ओर	7697	1	7697	0.7697
PF4	सहारनपुर- मुझफ्फरनगर रोड	बाई ओर	1800	1	1800	0.18
		क्रॉसिंग	10 X 2	1	20	0.002
		दाहिनी ओर	14500	1	14500	1.45
PF5	सहारनपुर- छुटमलपुर- देहरादून रोड	क्रॉसिंग	10 X 2	1	20	0.002
		दाहिनी ओर	21508	1	21508	2.1508
		क्रॉसिंग	10 X 2	1	20	0.002
PF6	सहारनपुर - चकराता रोड	क्रॉसिंग	10 X 2	1	20	0.002
		बाई ओर	4500	1	4500	0.45
PF7	सहारनपुर मे (एनएच-73 के समांतर)	बाई ओर	293	1	293	0.0293
		क्रॉसिंग	10 X 2	1	20	0.002
		दाहिनी ओर	2568	1	2568	0.2568
			कुल		63430	6.343
3	परियोजना से लोगों के विस्थापित होने का विवरण, यदि कोई हो।			नहीं		
क	परिवारों की संख्या			शून्य		
ख	अनुसूचित जाती तथा जनजाती परिवारों की संख्या			शून्य		
ग	पुनर्वास योजना संलग्न किये जाने के लिये कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा।			कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा।		



4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है (हाँ / नहीं)	नहीं
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उनके अनुरक्षण और/ या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण लागत के साथ साथ सुरक्षा & सुरक्षाक्षेत्र के उत्थान का खर्च इत्यादि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार, वहन करने कि वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा	चेकलिस्ट के अनुसार

दिनांक : 16/08/2017

Suresh
(विजय दुग्गल)

मुख्य महाप्रबन्धक (गैस)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

